न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 23 / 2022 **दायर दिनांकः 25 / 08 / 2022**

उनवान

1. सीताराम आयु 69 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मेहर निवासी भौंरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 12 / 11 / 2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल भौंरा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 136 का ख0नं0 119 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 122 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 232 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 233 का रकबा 0.23 है0, ख0नं0 237 का रकबा 0.88 है0, ख0नं0 238 का रकबा 0.87 है0, ख0नं0 395 का रकबा 0.30 है0, ख0नं0 396 का रकबा 0.28 है0, ख0 नं0 398 का रकबा 1.46 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 4.52 है0 आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान साथ के दर्ज खाता स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1 / 9 दर्ज है। नवीन नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी को घर पर मोहन कहने के कारण प्रार्थी का नाम मोहन गलत दर्ज कर दिया है जबकि सही नाम सीताराम है तथा प्रार्थी की उम्र 69 वर्ष है इसलिए प्रार्थी बालिग है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत किशनपुरा के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम सीताराम सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहन के स्थान

पर सही नाम सीताराम एवं नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम सीताराम सही दर्ज नहीं किया गया व बालिग दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहन के स्थान पर सही नाम सीताराम व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहन के स्थान पर सही नाम सीताराम व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मेहर निवासी भौंरा तहसील अटरू के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। सीताराम ने सशपथ बयान किया कि ग्राम व माल भौंरा पटवार मण्डल किशनपुरा की आराजी खाता संख्या 136 का कुल किता 9 का रकबा 4.52 है0 आराजी में मेरा नाम घर पर मोहन कहने के कारण राजस्व जमाबन्दी में मोहन गलत दर्ज कर दिया है। तथा मेरी उम्र वर्तमान में 69 वर्ष है फिर भी राजस्व जमाबन्दी में नाबालिग दर्ज कर रखा है जबकि मेरे दस्तावेजों में सही नाम सीताराम व उम्र 69 वर्ष है। मेरे दस्तावेजों के आधार पर मेरा नाम मोहन के स्थान पर सीताराम व नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम व माल भौंरा की खाता संख्या 136 का कुल किता 9 का रकबा 4.52 है0 आराजी में प्रार्थी का घर का बोलता नाम मोहन तथा नाबालिग दर्ज है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी का सही नाम सीताराम है व वर्तमान में उसकी उम्र 69 वर्ष है।

उक्त विवादित आराजी में दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम मोहन के स्थान पर सीताराम व बालिग दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम भौंरा की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 136 (प्रदर्श 1) किता 9 कुल रकबा 4.52 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम शामलाती खाते में नाबालिग मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड प्रदर्श 5ए में सीतराम पुत्र लक्ष्मीनारायण, पेन कार्ड प्रदर्श 7ए में सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण, राशन कार्ड में सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण, एस.बी.आई. अटरू बैंक पासबुक प्रदर्श 3ए में सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 4ए में सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायन, जनआधार कार्ड प्रदर्श 6ए में सीताराम दर्ज है। ग्राम पंचायत किशनपुरा के प्रमाण पत्र दिनांक 24.08.2022 प्रदर्श 2 अनुसार सीताराम को बचपन में मोहन के नाम से जाना जाता था मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण व सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण तथा प्रार्थी वर्तमान में बालिग है।

6. अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल भौंरा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 136 का ख0नं0 119 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 122 का रकबा 0.07 है0, ख0 नं0 232 का रकबा 0.38 है0, ख0 नं0 233 का रकबा 0.23 है0, ख0नं0 237 का रकबा 0.88 है0, ख0नं0 238 का रकबा 0.87 है0, ख0नं0 395 का रकबा 0.30 है0, ख0नं0 396 का रकबा 0.28 है0, ख0 नं0 398 का रकबा 1.46 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 4.52 है0 आराजी में सहखातेदार **मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सीताराम उर्फ मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण तथ नाबालिग के स्थान पर बालिग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये**

जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे दिनांक 12.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां